रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 361] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 1983/भाद्र 28, 1905
No. 361] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 19, 1983/BHADRA 28, 19

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली 16 सितम्बर, 1983

सा०का०नि० 725 (अ).—केन्द्रीय सरकार वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन्य प्राणी (सद्व्यवहार और चर्मपूर्ण) तमिलनाडु नियम 1974 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन्य प्राणी (सद्व्यवहार और चर्मपूर्ण) तमिलनाडु (संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्मपूर्ण) तमिलनाडु नियम, 1974 के नियम 4 के उपनियम (1) में, "सात दिन" शब्दों के स्थान पर, "तीस दिन" रखे जाएंगे ।

[सं० 1-11/79-एफ आर वाई (डब्ल्यू एल) (xiv)]
समर सिंह, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 1983

G.S.R. 725(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Wild Life (Transactions and Taxidermy) Tamil Nadu Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Wild Life (Transactions and Taxidermy) Tamil Nadu (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (1) of rule 4 of the Wild Life (Transactions and Taxidermy) Tamil Nadu Rules, 1974, for the words "seven days", the words "thirty days" shall be substituted.

[No. 1-11/79-FRY(WL)(xiv)]
SAMAR SINGH, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983